सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (रा

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 7/2015

बउनवान

श्री अरूण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्षेत्र–कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन कोटा **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री भैरवलाल गुप्ता, निवासी सीसवाली रोड़, रेल्वे फाटक के पास अन्ता जिला बारां (मालिक एवं विक्रेता) मेसर्स पवनसुत मिष्ठान भण्डार, कोटा बारां रोड़ अन्ता **(अप्रार्थी)**

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. बारां (प्रार्थी की ओर से)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 27.02.2018

प्रकरण श्री अरूण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्षेत्र–कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2014 को समय 03:30 पी.एम. पर मेसर्स पवनसुत मिष्ठान भण्डार, कोटा बारां रोड़ अन्ता पर पहुंचा। वहॉ पर श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री भैरवलाल गुप्ता विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे को परिचय दिया ओर उनकी उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा मौके पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु एल्यूमिनियम के भगोने में 15 किलो **गुलाब जामुन** रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर उक्त **गुलाब जामुन** का नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना फार्म सं. 5 ए पर देते हुये 2 किलोग्राम **गुलाब जामुन** एक साफ सूखी एवं स्वच्छ भगोनी में वास्ते नमूना जांच खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को 300/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए की प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए 2 किलोग्राम **गुलाब जामुन** को एक रूप करके 4 साफ सुथरी एवं स्वच्छ कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर चारों शीशीयों में प्रिजर्वेटीव की 40–40 बूंद डालकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना की शीशियों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर जोन–कोटा के चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी श्री रघुनाथ मीणा द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर अभिहित अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें परिक्षेत्र कोटा को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. एवं अभिहित अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें परिक्षेत्र कोटा के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2015/13 दिनांक 18.02.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एफएसएसएल/कोटा/2015/142 दिनांक 18.02.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **गुलाब जामुन अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

डी.ओ. कम अभिहित अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें परिक्षेत्र कोटा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/12 दिनांक 18.02.2015 द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को धारा 46(4) के अन्तर्गत सूचित किया कि अगर वे उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो आवेदन प्रारूप 8 के जरिये पुनः जांच हेतु अपील कर सकते हैं। नियत अवधि में कारोबारकर्ता द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि जांच रिपोर्ट के क्रम 1 से 6 तक के सारे परिणाम निर्धारित स्तर व मानक अनुसार है। क्रम 7 की उपमद A बोडोइन टेस्ट को मात्र निगेटिव बताया गया है। क्रम 7 की उपमद B मेल्टिंग प्वाईन्ट निर्धारित मानक अनुसार है। अप्रार्थी खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन के निर्माण में मेदा स्वास्तिक ब्राण्ड व वनस्पति घी सुमन ब्राण्ड, मावा व शक्कर बाजार की प्रतिष्ठित दुकानों से क्रय कर गुलाब जामुन का निर्माण करता है। अप्रार्थी द्वारा उपयोग में लिये गये वनस्पति घी सुमन ब्राण्ड अनुरूप बोडोइन टेस्ट का परीक्षण खाद्य एनालिस्ट द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण जांच रिपोर्ट क्रम 7 A में वसा को नेगेटिव मानकर दिया गया परिणाम वनस्पति घी सुमन ब्राण्ड के विपरित होने से जांच रिपोर्ट की उपमानक की राय विधि सम्मत नहीं है। परिवादी द्वारा उपमानक के आधार पर प्रस्तुत किया गया परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रावधानों से असंगत होने से निरस्तनीय है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध परिवाद निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस **गुलाब जामुन** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 7 **A** बोडोइन टेस्ट को मात्र निगेटिव बताया गया है। अप्रार्थी द्वारा उपयोग में लिये गये वनस्पति घी सुमन ब्राण्ड अनुरूप बोडोइन टेस्ट का परीक्षण खाद्य एनालिस्ट द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण जांच रिपोर्ट क्रम 7 A में वसा को नेगेटिव मानकर दिया गया परिणाम वनस्पति घी सुमन ब्राण्ड के विपरित होने से जांच रिपोर्ट की उपमानक की राय विधि सम्मत नहीं है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, **गुलाब जामुन** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)